सत्ता का रौब या कानून को चुनौती?

विधायक लोधी के बयान पर सियासी सन्नाटा

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 अप्रैल। पिछोर से भाजपा विधायक प्रीतम सिंह लोधी एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला सीधे पुलिस महकमे को खुलेआम धमकाने का है, जिसने कानून व्यवस्था और राजनीतिक मर्यादा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विधायक ने करैरा के एसडीओपी जाखड़ को न केवल अपमानजनक भाषा में हड़काया, बल्कि यह तक कह दिया कि 10 हजार कार्यकर्ताओं को लेकर उनके बंगले को गोबर से भर देंगे। बयान यहीं नहीं रुका- करैरा तेरे डैडी का नहीं है' मेरा लड़का आएगा भी और चुनाव भी लड़ेगा जैसे शब्दों ने पूरे घटनाक्रम को और ज्यादा गंभीर बना दिया।

ढाई किलो से ढाई क्विंटल तक पहुंचा मुक्का

विधायक का यह कहना कि पहले मेरा मुक्का ढाई किलो का था, अब ढाई क्विंटल का हो गया है साफतौर पर ताकत के प्रदर्शन और दबाव की राजनीति का संकेत देता है। सवाल उठ रहा है क्या यह जनप्रतिनिधि का व्यवहार है या किसी बाहुबली की चेतावनी?

पुलिस बनाम सत्ता, बेटे के मामले ने बढ़ाया विवाद

विवाद की जड़ हालिया सड़क हादसा है, जिसमें विधायक के पुत्र दिनेश लोधी पर तेज रफ्तार थार से 5 लोगों को घायल करने का आरोप है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हादसे के बाद घायलों की मदद करने के बजाय वह मौके से निकल गए। बाद में पुलिस ने उन्हें जिम से पकड़ा। सूत्रों के मुताबिक, पहले अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, फिर दबाव बढ़ने पर विधायक पुत्र को आरोपी बनाया गया।

इस बीच यह भी चर्चा में रहा कि गिरफ्तारी के दौरान कथित तौर पर उन्होंने पुलिस को चुनौती दी कि मेरा पिता विधायक है, कुछ भी कर लूंगा।

एसडीओपी पर आतंकवादी जैसा व्यवहार का आरोप

विधायक का दावा है कि उन्होंने खुद एसपी से कहकर बेटे पर मामला दर्ज करवाया, लेकिन एसडीओपी जाखड़ ने आतंकवादी जैसा व्यवहार किया। गाड़ी का दोबारा चालान, लाइसेंस निरस्तीकरण और करैरा आने से मना करने जैसे आरोपों ने विधायक को भड़का दिया।

चुप्पी पर उठ रहे सवाल

पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल सत्तारूढ़ दल की चुप्पी को लेकर उठ रहा है। सार्वजनिक मंच से पुलिस अधिकारी को धमकाने और शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसे गंभीर आरोपों के बावजूद पार्टी नेतृत्व की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ऐसे बयानों पर कार्रवाई नहीं होती, तो यह कानून के राज पर सीधा प्रश्नचिन्ह है। स्थानीय स्तर पर यह मामला अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह बहस छिड़ गई है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है या सत्ता के सामने कमजोर पड़ जाता है।

विधायक की अमर्यादित भाषा पर भड़का आईपीएस एसोसिएशन, सिविल सेवा दिवस पर गरिमा को ठेस

पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी द्वारा करैरा एसडीओपी डॉ. आयुष जाखड़ के खिलाफ कथित अभद्र और धमकी भरे बयान से विवाद गहराता जा रहा है। मामले में आईपीएस एसोसिएशन मध्यप्रदेश ने कड़ा रुख अपनाते हुए प्रेस नोट जारी कर घटना की तीखी निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा कि एक जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह की भाषा न केवल एक नवनियुक्त आईपीएस अधिकारी और उनके परिवार का अपमान है, बल्कि इससे पूरे प्रशासनिक तंत्र का मनोबल प्रभावित होता है। सिविल सेवा दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर सामने आया यह विवाद बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है। एसोसिएशन ने सरकार से तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि लोकतंत्र में पद और भाषा दोनों की मर्यादा जरूरी है।

सुबह बंद मिला स्कूल, कलेक्टर के औचक निरीक्षण में खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल

डीईओ को कारण बताओ नोटिस

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 अप्रैल। जिले की शिक्षा व्यवस्था पर उस समय सवाल खड़े हो गए जब नवागत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने औचक निरीक्षण के दौरान एक स्कूल बंद और दूसरे में शिक्षक गायब पाए। मंगलवार सुबह किए गए इस निरीक्षण ने सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत उजागर कर दी।

कलेक्टर जब शासकीय माध्यमिक विद्यालय खौरघार पहुंचे तो स्कूल पर ताला लटका मिला, जबकि सिंहनिवास स्थित विद्यालय में 5 शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। सुबह 7:30 बजे स्कूल खुलने का समय होने के बावजूद 8 बजे तक ऐसी स्थिति मिलने पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी विवेक श्रीवास्तव को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने साफ कहा कि बच्चों के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों का लगातार औचक निरीक्षण करें और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करें। निरीक्षण के दौरान करैरा, पिछोर और अन्य क्षेत्रों के कई प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों का जायजा लिया गया, जहां व्यवस्थाओं में सुधार की आवश्यकता सामने आई। कलेक्टर की इस सख्त कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

बंद मिले विद्यालय एवं अनुपस्थित शिक्षकों पर की कार्यवाही

कलेक्टर अर्पित वर्मा के निर्देशन में एसडीएम करैरा अनुराग निंगवाल ने विकासखंड करैरा के लगभग आधा दर्जन विद्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण किया। जिसमें प्राथमिक विद्यालय बम्हारी प्रातः 9.55 पर बंद मिला। जबकि माध्यमिक एवं हाई स्कूल बम्हारी के दो-दो अतिथि शिक्षक अनुपस्थित मिले। इसके साथ ही अनुपस्थित शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। गर्मी को दृष्टिगत रखते हुए जिले में 1 तारीख से विद्यालयों का संचालन सुबह की पारी में किया जा रहा है, जिसके अनुसार स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है। इसके बावजूद तय समय पर विद्यालय बंद पाया गया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम के साथ बीईओ मुकेश शर्मा भी मौजूद रहे। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम अनुराग निंगवाल ने सभी अनुपस्थित शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा है। एसडीएम ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में इस प्रकार की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

डबहारा गांव में प्रशासन की तत्परता से रुका एक और बाल विवाह

परिजनों ने 18 वर्ष बाद ही शादी का दिया लिखित आश्वासन

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 अप्रैल। बाल विवाह के खिलाफ सख्त अभियान के तहत जिले में एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चाइल्ड लाइन की सूचना पर महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने ग्राम डबहारा में दबिश देकर नाबालिग बालिका का विवाह रुकवा दिया। जांच में बालिका की उम्र मात्र 16 वर्ष 7 माह पाई गई, जो कानूनी विवाह आयु से कम है।

टीम ने मौके पर ही परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों और सजा के बारे में विस्तार से समझाया। सख्त चेतावनी के बाद परिवार ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि बालिका का विवाह 18 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही किया जाएगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि बाल विवाह न केवल सामाजिक कुरीति है, बल्कि गंभीर कानूनी अपराध भी है, जो बालिकाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और

भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। बाल संरक्षण अधिकारी राघवेंद्र शर्मा ने कहा कि विवाह बच्चों का खेल नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। बाल विवाह एक सामूहिक अपराध है, जिसमें आयोजक और सहयोगी भी समान रूप से दोषी माने जाते हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि ऐसी किसी भी सूचना पर तुरंत 1098 या 112 पर जानकारी दें।

अक्षय तृतीया पर सेवा : 22 सामूहिक विवाहों में दिलीप मुदगल ने बहनों को दिए उपहार

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 अप्रैल। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर पोहरी विधानसभा क्षेत्र में सेवा और संस्कार का अनोखा संगम देखने को मिला। भाजपा नेता दिलीप मुदगल ने 22 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित सामूहिक विवाह सम्मेलनों में पहुंचकर न सिर्फ सहभागिता निभाई, बल्कि नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद भी दिया।

इस दौरान उन्होंने करीब 1000 से अधिक नव दांपत्य जोड़ों को उपहार स्वरूप डबल बेड के कंबल भेंट किए और बहनों के पैर पखारकर सम्मान प्रकट किया। उनके इस कदम को क्षेत्र में सेवा और सामाजिक समरसता के प्रतीक

के रूप में देखा जा रहा है। विभिन्न समाजों यादव, कुशवाह, शाक्य, परिहार, रजक, पाल सहित सर्वजातीय आयोजनों में उनकी सक्रिय भागीदारी ने कार्यक्रमों को विशेष बना दिया। आयोजकों ने उनका माल्यार्पण कर स्वागत किया और आभार जताया। दिलीप मुदगल ने नवदंपत्तियों को सुखी वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं देते हुए हर परिस्थिति में साथ खड़े रहने का भरोसा दिलाया।

सामूहिक विवाह सम्मेलन में 11 जोड़ों ने थामा एक-दूसरे का हाथ

पोहरी, 21 अप्रैल। परिहार खंगार समाज द्वारा पोहरी में सामूहिक विवाह सम्मेलन की एक शानदार पहल की गई। अरुण खंगार के कुशल संयोजन में आयोजित कार्यक्रम में कई जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। समाज के इस प्रयास की क्षेत्र में काफी सराहना की जा रही है।

सम्मेलन के दौरान नवविवाहित वधुओं को समिति की ओर से गृहस्थी बसाने के लिए विशेष उपहार भेंट किए गए। उपहारों में सोने का कांटा, चांदी की तोड़िया, बाला, पत्री, बिछुड़ी और श्रृंगारदानी शामिल थी। इसके अलावा 11 स्टील के बर्तन, बैग और वस्त्र भी वितरित किए गए, ताकि नए जोड़ों को शुरुआत में सुविधा हो सके। इस मांगलिक अवसर पर समाज के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुख्य रूप से शक्ति सिंह, मंडल अध्यक्ष विष्णु परिहार, रेंज ऑफीसर राज परिहार और सम्मेलन अध्यक्ष गजराज सिंह जामखो ने शामिल होकर वर-वधू को आशीर्वाद दिया। अतिथियों ने कहा कि सामूहिक विवाह सम्मेलनों से समाज में फिजूलखर्ची पर रोक लगती है और आपसी भाईचारा बढ़ता है।

फर्जी सिग्नेचर से 1 .77 लाख निकालने वाला आरोपी गिरफ्तार

पांच साल बाद धोखाधड़ी का पर्दाफाश

शिवपुरी, 21 अप्रैल। बैंक धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में पिछोर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए लंबे समय से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। मामला वर्ष 2021 का है, जब फरियादी नाथूराम लोधी के खाते से फर्जी हस्ताक्षर कर 1.77 लाख रुपए निकाल लिए गए थे।

इस मामले में अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी प्रशांत शर्मा के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी बलवीर लोधी को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान हस्ताक्षर मिलान के लिए क्यूटी शाखा भोपाल से रिपोर्ट मंगाई गई, जिसमें फर्जी हस्ताक्षर की पुष्टि हुई। इसके बाद 21 अप्रैल 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी नीतू सिंह सहित उपनिरीक्षक बीएल दोहरे, जहान सिंह, परमाल सिंह, आरक्षक भूपेन्द्र सिंह, जीतेन्द्र गुर्जर और दीपेन्द्र गुर्जर की सराहनीय भूमिका रही।

एसडीएम ने नरवाई जलाने वाले किसानों पर लगाया जुर्माना

शिवपुरी, 21 अप्रैल। एसडीएम कोलारस द्वारा कोलारस क्षेत्रांतर्गत नरवाई जलाने वाले दो किसानों के विरूद्ध अर्थदण्ड की कार्यवाही गई है। अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोलारस द्वारा यह कार्रवाई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के तहत की गई, जिससे पर्यावरणीय दिशा-निर्देशों के उल्लंघन पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर तहसील कोलारस के ग्राम मोहनपुर निवासी कृषक विष्णु सिंह पुत्र संग्राम सिंह रघुवंशी, ग्राम अटरूनी निवासी कृषक अरविंद पुत्र भमर सिंह रघुवंशी, देवेन्द्र पुत्र भमरा सिंह रघुवंशी पर 15-15 हजार रुपए कुल 30 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है। एसडीएम कोलारस ने बताया कि किसानों को अर्थदंड की राशि जमा कर कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी कोलारस को सूचित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जमा न करने की स्थिति में यह राशि भू-राजस्व बकाया की तरह वसूल की जाएगी। सभी किसानों से अपील की गई है कि वे फसल अवशेष को जलाने के बजाय इसका वैकल्पिक उपयोग करें और पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनें।

पोहरी पुलिस ने 10 माह से फरार फिरौती-डकैती गैंग के दो आरोपियों को दबोचा

शिवपुरी, 21 अप्रैल। पोहरी थाना पुलिस ने फिरौती और डकैती के सनसनीखेज मामले में 10 माह से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया। यह कार्रवाई अमन सिंह राठौड़ के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मुले एवं एसडीओपी आनंद राय के मार्गदर्शन में अंजाम दी गई।

टीआई रवि चौहान के अनुसार, 14 जून 2025 को फरियादी प्रीतम जाटव की रिपोर्ट पर थाने में अपराध क्रमांक 166/26 दर्ज किया गया। जांच के दौरान डकैती की धाराएं जोड़ी गईं और पहले ही अनिल जाटव, जयराम जाटव, विनोद जाटव व मोहित जाटव को गिरफ्तार किया जा चुका था। थाना प्रभारी रवि चौहान के नेतृत्व में गठित टीम ने लगातार दबिश देकर आखिरकार फरार आरोपी दीपक जाटव उम्र 37 वर्ष और सतेन्द्र उर्फ खन्ना जाटव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सड़ थाना करैरा को 20 अप्रैल को धर दबोचा। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक रवि चौहान, उपनिरीक्षक वीरेन्द्र परिहार, प्रधान आरक्षक ह्रदेश पाराशर, आरक्षक राजकुमार, राघवेन्द्र, अरविंद कुशवाह और मांगीलाल गुर्जर की अहम भूमिका रही।

अंगूठा लगवाकर राशन घोटाला? लेवा पंचायत में 4 महीने की हेराफेरी का आरोप, वीडियो से खुलासा

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 अप्रैल। कोलारस जनपद की ग्राम पंचायत लेवा में राशन वितरण को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। ग्रामीणों ने उचित मूल्य दुकान के सेल्समैन राजकुमार शर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसडीएम से शिकायत की है।

ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले चार माह से नियमित राशन नहीं दिया जा रहा था। 15 अप्रैल को जब वितरण के लिए बुलाया गया, तो उपभोक्ताओं को केवल एक-दो माह का ही राशन दिया गया, जबकि चार माह का रिकॉर्ड दिखाने के लिए जबरन अंगूठा और हस्ताक्षर कराए गए। विरोध करने पर कई लोगों को अधूरा

राशन देकर लौटा दिया गया, जबकि कुछ को खाली हाथ वापस जाना पड़ा। मामले को और गंभीर तब बना दिया जब ग्रामीणों ने सेल्समैन की कथित हेराफेरी का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया।

आरोप है कि सेल्समैन ने राशन की बोरियों को इधर-उधर कर फर्जी वितरण दिखाने की कोशिश की। ग्रामीणों का दावा है कि दो माह का राशन खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। इससे पहले सेल्समैन द्वारा ग्रामीणों पर राशन लूटने के लगाए गए आरोपों को भी लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया है। अब ग्रामीण दोषी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और निष्पक्ष जांच की मांग पर अड़े हैं। एसडीएम अनूप श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायतें दर्ज कर ली गई हैं और मामले की जांच जारी है।

निवेश और सेवा के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी

इंदौर. भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक व्यवसायी के साथ बड़ी धोखाधड़ी हुई है. आरोपी ने खुद की कंपनी में निवेश और व्यवसायिक सेवाओं के नाम पर लाखों रुपये का अनुबंध किया, लेकिन काम पूरा होने के बाद न केवल भुगतान करने से मुकर गया, बल्कि अपना ठिकाना बदलकर फरार हो गया. पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है. फरियादी परीक्षित पिता रमेश पारसे, निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी, ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने बताया कि आरोपी समीर अग्रवाल ने उनके साथ एक अनुबंध किया था. काम के बदले में उसे 8,67,300 रुपये का भुगतान करना था, लेकिन आरोपी ने यह राशि नहीं दी.

जनसुनवाई में कलेक्टर का मानवीय चेहरा: दिव्यांग को 10 हजार की सहायता, संबल योजना से हितग्राही महिला को 2 लाख की स्वीकृति

नवभारत न्यूज

शिवपुरी, 21 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा की साप्ताहिक जनसुनवाई एक बार फिर जरूरतमंदों के लिए राहत का जरिया बनी। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई में 250 से अधिक आवेदनों पर सुनवाई करते हुए कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया।

सबसे संवेदनशील पहल में अकाझिरी निवासी दिव्यांग धीरज सिंह जाटव को बीमारी के उपचार हेतु तत्काल 10 हजार रुपए की सहायता भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी के माध्यम से प्रदान की गई। कलेक्टर ने मौके पर ही चेक दिलाकर मानवीय पहल का उदाहरण पेश किया।

वहीं ग्राम खैरोदा की तारा आदिवासी को मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत 2 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता स्वीकृत की गई है, जिसकी राशि जल्द ही उनके बैंक खाते में पहुंचने वाली है। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत विजय राज, अपर कलेक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला, एसडीएम मोतीलाल अहिरवार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

चाकू मारकर हत्या, आरक्षक पर किए 9 वार

नर्मदापुरम, 21 अप्रैल. जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र ग्राम नाहरकोला में एक शादी समारोह उस वक्त हिंसा में बदल गया, जब मामूली विवाद के बाद चाकू मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए. सूचना मिलते ही रात करीब 1 बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहीं आरक्षक को चाकू से 9 जगह वार किया.

थाना प्रभारी केएन रजक के नेतृत्व में पुलिस आरोपियों को पकड़ने पहुंची, लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब एक आरोपी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया. आरक्षक के शरीर पर 9 जगह चाकू लगे है. उसकी हालत स्थिर बनी हुई है. पुलिस ने आरोपियों पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है. टीमे गठित कर आरोपियों कि तलाश जारी है.

सूचना मिलने पर रात 1 बजे थाना प्रभारी केएन रजक, प्रधान आरक्षक सुनील, आरक्षक

ओम जाट और दीपक आरोपियों को पकड़ने पहुंचे. थाना प्रभारी केएन रजक ने बताया, गांव में हमें देखकर आरोपी भागने लगा. जिसे पकड़ने के लिए आरक्षक ओम और हम दौड़े. आरक्षक ओम जाट ने तेजी से दौड़कर उसे पकड़ लिया. इसके बाद आरोपी ने उस पर भी चाकू से हमला कर दिया और आरक्षक के हाथ, पैर व पेट में चाकू मारे. हम पास पहुंचे तब तक आरोपी दूर भाग गया. आरक्षक के शरीर से खून बह रहा था, इसलिए उसे बचाना प्राथमिकता थी. इस बीच आरोपी भाग निकला. आरक्षक ओम जाट के पेट, हाथ और पैर में 9 जगह चाकू लगे.

पूरा घटनाक्रम : जानकारी के अनुसार ग्राम नाहरकोला निवासी रामनारायण के भतीजे की शादी का कार्यक्रम चल रहा था. घर में खुशियों का माहौल था और मेहमान शादी समारोह में शामिल थे. इसी दौरान गांव का ही अमर सिंह कीर शराब के नशे में वहां पहुंचा. परिवार के लोगों ने उसे सामान्य रूप से खाना खाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने नशे की हालत में अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया. भीड़ अधिक होने के कारण परिजनों ने उसे वहां से जाने के लिए कह दिया.

बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद अमर सिंह अपने बेटे लोकेश कीर के साथ दोबारा शादी समारोह में पहुंचा. इस बार अमर सिंह के हाथ में डंडा और लोकेश के हाथ में चाकू था. आते ही दोनों ने गाली-गलौज करते हुए विवाद शुरू कर दिया.

कट्ठीवाड़ा सहकारी बैंक में करोड़ों का गबन में तीन अधिकारी घिरे

आलीराजपुर, 21 अप्रैल. जिले के कट्ठीवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा में लगभग 4 करोड़ रुपये के गबन और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. यह मामला किसान क्रेडिट कार्ड ऋण से जुड़ा है, जिसमें बैंक के तीन अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप है कि तत्कालीन समिति प्रबंधक गिरधारीलाल राठौड़, चेकर रमेश भूरिया और कर्मचारी निर्भयसिंह तोमर ने वर्ष 2023-24 के दौरान फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसानों के नाम पर स्वीकृत ऋण राशि को वास्तविक लाभार्थियों के खातों में जमा करने के बजाय निजी खातों में स्थानांतरित कर दिया. इस सुनियोजित धोखाधड़ी से बैंक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ. मामला सामने आने के बाद बैंक प्रबंधन ने विभागीय जांच और ऑडिट कराया, जिसमें इन तीनों की संलिप्तता की पुष्टि हुई. इसके बाद शाखा प्रबंधक की शिकायत पर कट्ठीवाड़ा थाने में धोखाधड़ी, गबन और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई. पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के अनुसार जांच तेजी से चल रही है और साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.